भारत INDIA
बीस रुपये TWENTY RUPEES

(63)

न्यायालय श्रीमान रेवेन्यू बोर्ड आफ म0प्र0 ग्वालियर केम्प भोपाल

रिविजन कमांकः— PBR/निगरानी/होशंगाबाद/भू.रा/2017/6170
प्रस्तुत दिंनाकः—

श्री राजेन्द्र पचोरी एडव्होकेट सिवनी मालवा द्वारा प्रस्तुत
R/o C/11
16/11/2017
अधीक्षक
लेक्टोरेट, होशंगाबाद

आवेदकः— डॉ0 अजीत मोहन पुत्र गोविन्ददास अग्रवाल
निवासी वार्ड नंबर नर्मदा मंदिर चौक सिवनी मालवा
तहसील सिवनी मालवा जिला होशंगाबाद म0प्र0

बनाम

अनावेदकः— सुजीत कुमार पुत्र गोविन्ददास अग्रवाल
निवासी वार्ड नंबर नर्मदा मंदिर चौक सिवनी मालवा
तहसील सिवनीमालवा जिला होशंगाबाद म0प्र0

पुनरीक्षण पत्र अंतर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0संहिता के विरूद्व आदेश दिनांक 22.09.2017 जो कि रा0प्र0क0 48अ—6 वर्ष 2015—16 ग्राम विटारिया में न्यायालय श्रीमान तहसीलदार द्वारा पारित किया गया है उससे छुब्द होकर निम्न आधारों पर प्रस्तुत हैः—

12-17

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक पीबीआर/निगरानी/होशंगाबाद/भूरा/2017/6170

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
4.1.2018	आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया। तहसीलदार सिवनीमालवा जिला होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 22–9–2017 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा आपत्तिकर्ता के हितबद्ध पक्षकार होने उसे अनावेदक के रूप में पक्षकार बनाये जाने का आवेदन स्वीकार किया है । तहसील न्यायालय में प्रकरण का अंतिम निराकरण अभी होना है । जहॉ आवेदक अपना पक्ष रखने का पूर्ण अवसर उपलब्ध है। अतः यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है। अध्यक्ष	